रा/निगरानी/विदिशा/भू-रा/2017/1849

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: /२०१७ निगरानी

कौशल्या बाई पुत्री नर्मदा प्रसाद,
पत्नी ईश्वरी प्रसाद सैन, निवासिन बंदियाराम
पुरा, तहसील व जिला विदिशा-मध्यप्रदेश ।

------- प्रार्थिया

श्री एस० के० अवस्थी, अभि०
द्वारा आज दि. 21.6.17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-6-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुध्द

१- टीकाराम पुत्र नर्मदा प्रसाद सैन,
२- सीताराम पुत्र नर्मदा प्रसाद सैन,
निवासीगण ग्राम बंजरिया तहसील ग्यारसपुर
जिला विदिशा-मध्यप्रदेश ।

------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय ग्यारसपुर जिला विदिशा दिनांकी २६-५-१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० २८/१६-१७ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यहकि, एस०डी०ओ० महोदय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय के समक्ष प्रार्थिया की ओर से समयावधि के सम्बन्ध में प्रस्तुत आवेदन पत्र का विस्तृत उत्तर एवं लिखित तर्क प्रस्तुत किये हैं जिसका मात्र उल्लेख कर उस पर विचार किये बिना पारित आदेश निरस्ती योग्य है ।

४- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय के समक्ष प्रस्तुत अपील में विलम्ब के सम्बन्ध में न तो कोई समाधान कारक कारण ही बताया गया है और न जानकारी का स्त्रोत ही बताया गया है, व जानकारी

क्रमशः--२

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1849

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	